

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/1621

दिनांक :- 13/06/18

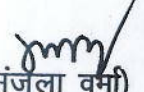
कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा के कॉलम संख्या 6 में अंकित आदेश संख्या एवं दिनांक के द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशों से निम्नांकित क0 लेखाकारों को मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरणों (एम.ए.सी.टी. कोर्ट) में स्थानान्तरित किया गया था किंतु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार आदिनांक तक उनके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है:-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम क0 लेखाकार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	आदेश संख्या एवं दिनांक जिससे स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4	5	6
	3078	नैन सिंह तंवर	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, जोधपुर	45/2018-19 दिनांक 01.05.2018
2	9257	सुरेश कुमार	अधिक्षापी अभियंता, परियोजना खण्ड प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बाड़मेर	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, बाड़मेर	57/2018-19 दिनांक 10.05.2018
3	5685	लाल बहादुर मित्तल	जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, भरतपुर	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, भरतपुर	57/2018-19 दिनांक 10.05.2018
4	9301	धर्मेन्द्र सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, धौलपुर	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, धौलपुर	57/2018-19 दिनांक 10.05.2018
5	9219	रतन लाल सालवी	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, प्रतापगढ़	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, प्रतापगढ़	57/2018-19 दिनांक 10.05.2018
6	9300	नरेश चन्द्र मीणा	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्थावस्थ विभाग, आमेर, राजसमंद	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, राजसमंद	57/2018-19 दिनांक 10.05.2018
7	5410	संजय कुमार पंचोली	आयुक्त, नगर परिषद्, (एक्स काडर) भीलवाड़ा	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, भीलवाड़ा-II	110/2018-19 दिनांक 11.06.2018

अतः उपरोक्त समस्त क0 लेखाकारों को आज दिनांक 13.06.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in / दूरभाष संख्या 0141-2740735, पर निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के संबंध में कारण सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों में इस निदेशालय को प्रेषित करावे अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/1621

दिनांक :- 13/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार.....
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित /निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)